

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Date: .....

Dear .....

**School Attendance Order Under Section 438 of the Education Act 1996**

**Education Act 1996 - School Attendance Order**

.....(local authority)

Whereas ..... **dob:** .....  
(hereinafter called 'the child') is a child of compulsory school age in the area of the  
above named Authority.

And whereas you .....

**residing at** ..... being the  
guardians/parents of the child have failed to satisfy the Authority in accordance with  
the requirements of the **notice served on you by the Authority on**  
..... **(under section 437 of the Education Act 1996)** that the child  
is receiving efficient full-time education suitable to his age, ability and aptitude either  
by regular attendance at school or otherwise:

And whereas in the opinion of the Authority, it is expedient that the child should  
attend school. Therefore you are now hereby required to cause the child forthwith to  
become a registered pupil at the following school:

.....

being the school selected (determined by the direction of the Secretary of State) as  
the school to be named in the Order.

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Date: .....

प्रिय .....

**एजुकेशन ऐक्ट 1996 के सेक्शन 438 के अन्तरगत स्कूल उपस्थिति आदेश**

**एजुकेशन ऐक्ट 1996 - स्कूल उपस्थित आदेश**

..... (स्थानीय प्रशासन/लोकल अथॉरोटी)

जबकि .....जन्म तिथि.....

(जिसे इसके बाद बच्चा कहा जाएगा) ऊपर दी लोकल अथॉरोटी के क्षेत्र में एक अनिवार्य स्कूल आयु का बच्चा है।

और जबकि आप.....

**निवासी.....**

उस बच्चे के अभिभावक/मां-बाप के रूप में आप इस अथॉरिटी को अथॉरिटी द्वारा आपको ..... पर भेजे गए (एजुकेशन ऐक्ट 1996 के सेक्शन 437 के अन्तरगत) नोटिस की मांगों के अनुसार इस बात से संतुष्ट कर पाने में असफल रहे हैं कि बच्चे को उसकी आयु, योग्यता व रुझाव के अनुकूल पूरे समय स्कूल जा कर या किसी अन्य प्रकार से यथोचित शिक्षा मिल रही है।

और जबकि इस अथॉरिटी के विचार में यह उचित होगा कि बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। इसलिए अब आपको इस बात पर बाध्य किया जाता है कि आप उस बच्चे को तुरन्त नीचे दिए गए स्कूल में भरती कराएं:

.....

जिस स्कूल को आदेश में (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट अर्थात शिक्षा मंत्री के निर्देश में) चुनाव करके नामांकित किया गया है।

.....

.....

